जनपद सोनभद्र पुलिस

प्रेस नोट

दिनांक–29.05.2026

थाना दुद्धी एवं विण्ढमगंज पुलिस की संयुक्त बड़ी कार्यवाही
गैंगस्टर एक्ट के तहत अपराध से अर्जित ₹15.29 लाख मूल्य की 02 पिकअप वाहन कुर्क

पुलिस अधीक्षक सोनभद्र श्री अभिषेक वर्मा द्वारा गैंगस्टर एक्ट के तहत वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं अपराध से अर्जित अवैध सम्पत्तियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक (ऑपरेशन) श्री ऋषभ रूणवाल के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी दुद्धी श्री राजेश कुमार राय के निकट पर्यवेक्षण में थाना दुद्धी पुलिस द्वारा बड़ी कार्यवाही करते हुए गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्तों की अपराध से अर्जित चल सम्पत्ति को कुर्क किया गया।

थाना दुद्धी पर पंजीकृत मु0अ0सं0 01/2026 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 से सम्बन्धित अभियुक्तगण द्वारा अपराध जगत से अर्जित धन से क्रय की गयी चल सम्पत्ति को श्रीमान जिलाधिकारी सोनभद्र, जनपद सोनभद्र के आदेश के अनुपालन में अन्तर्गत धारा 14(1) उ0प्र0 गैंगस्टर एक्ट के तहत नियमानुसार कुर्क किया गया।

कुर्क की गयी सम्पत्ति में गैंग सदस्य अखिलेश कुमार यादव पुत्र वैजनाथ यादव के नाम पंजीकृत वाहन संख्या UP64CT4309 पिकअप वाहन कीमत लगभग ₹10,29,200/- तथा गैंग सदस्य आशीष यादव पुत्र राजेन्द्र यादव के नाम पंजीकृत वाहन संख्या UP64CT2715 पिकअप वाहन कीमत लगभग ₹5,00,000/- शामिल है। कुर्क की गयी सम्पत्ति की कुल अनुमानित कीमत ₹15,29,200/- (पन्द्रह लाख उन्तीस हजार दो सौ रुपये मात्र) है। पुलिस द्वारा गठित टीम ने उक्त गैंग के सदस्यों द्वारा अपराध से अर्जित धन से खरीदी गयी सम्पत्तियों को चिन्हित करते हुए नियमानुसार कुर्की की कार्यवाही पूर्ण की। प्रकरण में अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

अभियुक्तगण का विवरण-

1. अखिलेश कुमार यादव पुत्र वैजनाथ यादव निवासी कूदल थाना कोन जनपद सोनभद्र।
2. आशीष यादव पुत्र राजेन्द्र यादव निवासी मुडीसेमर (जामपानी) थाना विण्ढमगंज जनपद सोनभद्र।

अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास-

अखिलेश कुमार यादव-

1. मु0अ0सं0 81/2025 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना दुद्धी जनपद सोनभद्र।
2. मु0अ0सं0 01/2026 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगस्टर एक्ट थाना दुद्धी जनपद सोनभद्र।

आशीष यादव-

1. मु0अ0सं0 81/2025 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना दुद्धी जनपद सोनभद्र।

2. मु0अ0सं0 01/2026 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगस्टर एक्ट थाना दुद्धी जनपद सोनभद्र।

कुर्क की गयी सम्पत्ति का विवरण-

1. पिकअप वाहन संख्या UP64CT4309 कीमत ₹10,29,200/-
2. पिकअप वाहन संख्या UP64CT2715 कीमत ₹5,00,000/-

कुर्की कार्यवाही में सम्मिलित पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक दुद्धी श्री धर्मेन्द्र कुमार सिंह मय हमराहियान।
2. थानाध्यक्ष विण्ढमगंज श्री शिव कुमार सिंह मय हमराहियान।